



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 18, सोमवार, शाके 19८4-जुलाई 9, 2012
Asadha 18, Monday, Saka 1934- July 9, 2012

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वन विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, जुलाई 6, 2012

एस. ओ. 65:- राज्य सरकार वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 V की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन्वद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरान्त एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2007 से अधिसूचित रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षित (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारों ओर नीचे अनुसूची - I में वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अनुसूची - II में वर्णित हैं, जहां क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है। जिसे भविष्य में "रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची - I

जिला सवाई माधोपुर

वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	2	3	4	5
1.	ओलवारा निवारी	उप वन संरक्षक कोर घाघ परि.	आरक्षित वन	555.00

1	2	3	4	5
2.	श्यामीली विलोली 82 ए	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी	आरक्षित वन	366.16
3.	श्यामीली विलोली 82 बी	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी	आरक्षित वन	199.94
4.	खाजना डूंगर मेन	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि.	संरक्षित वन	932.00
5.	खाजना डूंगर ए	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि.	संरक्षित वन	72.00
6.	सेवती चम्बल	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि.	आरक्षित वन	4870.00
योग				6995.10

जिला सवाई माधोपुर
राजस्य क्षेत्र

क्र.सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	खंडार	डूंगरी	गढी, कालाखोहरा (तालरा)	148.00
2.	खंडार	डूंगरी	भावपुर	407.00
3.	खंडार	डूंगरी	खिदरपुर जादीन	787.63
4.	खंडार	नायपुर	सायटा	931.00
योग				2273.63

जिला बूंदी
वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	2	3	4	5
1.	बलवन	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि. एवं मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	967.83
2.	पोलघटा	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि.	संरक्षित वन	435.00
3.	तलवास	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	4277.48
4.	मोहनपुरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	1777.58
5.	अरिवाली करघर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1559.92
6.	गढवाला	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	949.41
7.	गाताजीवाला	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	440.06
8.	सालमदरा - ए	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	98.70
9.	सालमदरा - बी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	139.19
10.	सालमदरा - सी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	256.55

1	2	3	4	5
11.	सालमदरा - डी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	177.72
12.	गेंडोली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1732.14
13.	कांकरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1372.83
14.	लाखेरी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2435.18
15.	फोलाई	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2438.89
16.	डोवरली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	65.95
17.	बांकलिया महादेव	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	438.00
18.	रामनगर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	38.02
योग				19820.45

जिला टोक
वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	आमली ए	मण्डल वन अधिकारी टोक	संरक्षित वन	903.47

मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र :	27519.02 हेक्टर
राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र :	2273.63 हेक्टर
कुल योग :	29792.65 हेक्टर

अनुसूची II
सीमा विवरण

खण्ड-1 रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के वनखण्ड 9-बी के मौजा सांवटा के दक्षिणी पूर्वी बिन्दु से प्रारम्भ होकर बनास नदी के अन्दर चलते हुए रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के वनखण्ड डांग दूध भात के मौजा भावपुर की पूर्वी सीमा एवं क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट सीमा के मिलन बिन्दु तक। बाद क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट सीमा लाइन के सहारे-सहारे वनखण्ड डांगदूधभात की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ मौजा खिदरपुर जादीन की ढाणी महारू एवं क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के मिलन बिन्दु तक। इसके बाद मौजा खिदरपुर जादीन की ढाणी महारू की राजस्व सीमा से शुरु होकर बनास नदी के अन्दर उत्तर से दक्षिण की ओर ग्राम तालड़ा के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के मिलन बिन्दु तक। उसके पश्चात क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के मौजा तालड़ा की

ढाणी नदी एवं कालाखोहरा के राजस्व क्षेत्र होते हुए मौजा सांवटा के प्रारम्भ बिन्दु तक।

- खण्ड-2 रणधम्मौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के वनखण्ड 9-ए के कम्पार्टमेंट 38 के पास ग्राम बरसोकला के उत्तर बनास नदी के दूसरे किनारे पर स्थित वनखण्ड श्यामोली बिलौली 82बी की सीमा होते हुए वनखण्ड श्यामोली बिलौली 82ए के मौजा साकड़ा रघुवंटी चक बिलौली की वन सीमा एवं सम्पूर्ण वनखण्ड क्षेत्र।
- खण्ड-3 रणधम्मौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के वनखण्ड 9-ए के कम्पार्टमेंट 38 के पास ग्राम बरसोकला के उत्तर पश्चिम में स्थित वनखण्ड ओलवाडा निवाड़ी का सम्पूर्ण वन क्षेत्र।
- खण्ड-4 क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के वनखण्ड 6-बी की लाइन के कम्पार्टमेंट 14 के पश्चिम में स्थित ग्राम हरिपुरा के पश्चिम से दक्षिण की ओर स्थित सम्पूर्ण वनखण्ड रवाजना डूंगर-मेन की सीमा एवं मौजा पांचोलास में स्थित इसे लगता हुआ रक्षित वनखण्ड रवाजना डूंगर ए का सम्पूर्ण हिस्सा।
- खण्ड-5 रणधम्मौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र के आरक्षित वनखण्ड आमली के कम्पार्टमेंट 2 के पश्चिम में वनखण्ड आमली-ए का सम्पूर्ण वन क्षेत्र जिसमें से (465 है. क्षेत्र उद्घाटन) किया गया है।
- खण्ड-6 आरक्षित वनखण्ड मोहनपुरा के उत्तर पश्चिम में स्थित ग्राम बावई के पास स्थित वनखण्ड शाननगर का सम्पूर्ण हिस्सा।
- खण्ड-7 आरक्षित वनखण्ड गढ़वाला की उत्तरी सीमा पर स्थित ग्राम इन्द्रगढ़, खेड़ली की सीमा से शुरू होकर गढ़वाला वनखण्ड की पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम मौजा करवा इन्द्रगढ़ एवं ग्राम गजपुरा की वन सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड लाखेरी के कम्पार्टमेंट 8 के मिलन बिन्दु तक। वनखण्ड लाखेरी की पश्चिमी सीमा के कम्पार्टमेंट 6, 5, 4, 3, 1 मौजा सेरिया, हीरापुर, बांसी, कोटडी की वन सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड कांकरा के कम्पार्टमेंट 8 के मिलन बिन्दु तक। वनखण्ड कांकरा के कम्पार्टमेंट 8 के पश्चिमी सीमा पर स्थित ग्राम नयागांव मुदली की वन सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड गेंडोली के मिलन बिन्दु तक। वनखण्ड गेंडोली एवं वनखण्ड कांकरा के मिलन बिन्दु से प्रारम्भ होकर वनखण्ड गेंडोली की पश्चिमी सीमा पर स्थित ग्राम माणपुर-बिच्छुलंका की वन सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड फौलाई के मिलन बिन्दु तक। इसके बाद खण्ड फौलाई की दक्षिणी सीमा में स्थित ग्राम खटकड़, कुआगांव, खड़ीवारा, फौलाई की वन सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड गेंडोली के मिलन बिन्दु तक। वनखण्ड गेंडोली की दक्षिणी सीमा पर स्थित ग्राम गेंडोली से चलकर गहुआ का देवजी गूथा होते हुए वनखण्ड कांकरा के मिलन बिन्दु तक। वनखण्ड कांकरा के दक्षिण में स्थित ग्राम डांगर से उत्तराणा,

बुधेल, गुडहेल, कांकरा, चनावली होते हुए लाखेरी वनखण्ड के मिलन बिन्दु तक। लाखेरी वनखण्ड की दक्षिणी सीमा पर स्थित ग्राम चनावली से पूर्व में होते हुए ग्राम लाखेरी, भापुरा, लोनाता की वन सीमा के सहारे होते हुए वनखण्ड गढवाला के मिलन बिन्दु तक। आरक्षित वनखण्ड गढवाला के दक्षिण में स्थित ग्राम लोनावा होते हुए वनखण्ड सालमदरा ए की दक्षिणी पूर्वी सीमा होते पुनः ग्राम अणघोरा के पास आरक्षित वनखण्ड गढवाला के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड गढवाला की वन सीमा होते हुए उत्तर में स्थित ग्राम इन्द्रगड खेडली के प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड-8 आरक्षित वनखण्ड मोहनपुरा के पश्चिम में स्थित ग्राम आजाद नगर के पास वनखण्ड की वन सीमा से शुरू होकर आरक्षित वनखण्ड मोहनपुरा के पश्चिम में स्थित ग्राम मोहनपुरा, फतेपुरा और जयनगर होते हुए आरक्षित वनखण्ड माताजीवाला के कोट (वर्तमान में टोल प्लाजा पर) स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड माताजीवाला की उत्तरी पश्चिमी वन सीमा पर चलते हुए ग्राम खालपुरा एवं जयनगर की सीमा के लगते हुए आरक्षित वनखण्ड अरियाली बुडकरवर के कम्पार्टमेंट 6 के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड अरियाली बुडकरवर के कम्पार्टमेंट 6 की पश्चिमी सीमा से शुरू होकर कम्पार्टमेंट 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो कि वन सीमा बनाती है के सहारे आरक्षित वनखण्ड तलवास के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड तलवास के पश्चिम से दक्षिण की ओर कम्पार्टमेंट 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 की वन सीमा के सहारे रामगड विजयारी अनवारण्य के वनखण्ड पीपलिया माणक चौक के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड तलवास के दक्षिणी सीमा से होते हुए कम्पार्टमेंट 19, 20, 21, 22, 23, 24 की पूर्वी सीमा जो कि वन सीमा है के सहारे वनखण्ड अरियाली बुडकरवर के कम्पार्टमेंट 5 पर स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड अरियाली बुडकरवर के कम्पार्टमेंट 5 की पूर्वी सीमा से उत्तर की ओर चलते हुए कम्पार्टमेंट 7 पर स्थित माताजीवाला वनखण्ड के मिलन बिन्दु तक। बाद आरक्षित वनखण्ड माताजीवाला की पूर्वी सीमा होते हुए कोट (वर्तमान में टोल प्लाजा पर) स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड मोहनपुरा की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा होते हुए प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड-9 आरक्षित वनखण्ड गढवाला के पूर्व में ग्राम विशनपुरा में स्थित वनखण्ड सालमदरा बी एवं इसारी मिलते हुए वनखण्ड सालमदरा डी जिसकी सीमाए मौजा भाण्डगंवार, लाखेरी बालापुरा है के सम्पूर्ण विस्तार।

खण्ड-10 रणधन्नीर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट क्षेत्र से लगते हुए वनखण्ड गाजीपुर के कम्पार्टमेंट 5 से एवं वनखण्ड पोतघटा के कम्पार्टमेंट 1 के चाकल नदी स्थित मिलन बिन्दु से प्रारम्भ होकर वनखण्ड पोतघटा के कम्पार्टमेंट 1, 2, 3 की पश्चिमी

सीमाएं होते हुए वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट 4 के मिलन बिन्दु तक वहीं से आरक्षित वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट 4 की पश्चिमी सीमा होते हुए वनखण्ड बांकलिया महादेव की पश्चिमी सीमा के सहारे चलते हुए पुनः आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेंट 5 स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 5 की दक्षिणी सीमा होकर चलते हुए कम्पार्टमेंट संख्या 4 की पूर्वी सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड सालमदरा सी के मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड सालमदरा सी की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर चलते हुए उत्तर की ओर आरक्षित वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2, 1 की पूर्वी सीमा होते हुए क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट के आरक्षित वनखण्ड पापडा के कम्पार्टमेंट संख्या 8 के मिलन बिन्दु तक। बाद क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट वनखण्ड पापडा के कम्पार्टमेंट 8, 7 एवं 4 की दक्षिणी सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड पोलधटा के कम्पार्टमेंट संख्या 1 के क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट से चाकल नदी में स्थित मिलन बिन्दु एवं प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड-11 रणधम्मौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट क्षेत्र से लगते हुए वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के पूर्वी दिशा में स्थित वनखण्ड डोवरली का सम्पूर्ण हिस्सा।

खण्ड-12 रणधम्मौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट के वनखण्ड किला खण्डार के पूर्व में स्थित आरक्षित वनखण्ड रेंवती चम्बल का सम्पूर्ण रकबा इस वनखण्ड के पूर्वी दिशा में चम्बल नदी एवं दक्षिण दिशा में बनास नदी इसकी सीमा बनाती है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]

जयपुर, जुलाई 6, 2012

एस. ओ. 66:- राज्य सरकार वन्यजीव (रक्षणा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 V की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरांत एतद्वारा इस विभाग की सनसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-12-2007 से अधिसूचित सरिस्का व्याघ्र आरक्षित (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारों ओर नीचे अनुसूची - I में वर्णित वन एवं राजस्थान क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अनुसूची - II में वर्णित हैं, जहां क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समृद्धता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ सह अस्तित्व

का संवर्धन करना है, को वफर क्षेत्र घोषित करती है। जिसे भविष्य में "सरिरका व्याघ्र आरक्षित के नध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची - I
जिला अलवर वन क्षेत्र
वन मण्डल अलवर

क्र. सं.	रेंज	वन खण्ड	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	अलवर	सीरावास	आरक्षित वन	2555.59
2.	अलवर	शेदावास	आरक्षित वन	3726.90
3.	अलवर	डडीकर	आरक्षित वन	2808.73
4.	अलवर	निदानी	आरक्षित वन	1570.43
5.	अलवर	भाखेडा	आरक्षित वन	2885.74
6.	अलवर	धामला का वास	संरक्षित वन	600.86
7.	अलवर	हमीरपुर-क.नं 1 से 5	संरक्षित वन	717.84
8.	अलवर	धामला का वास A	संरक्षित वन	88.06
9.	अलवर	उमरेश	संरक्षित वन	511.04
10.	अलवर	बाग केशरपुर	संरक्षित वन	35.39
11.	अलवर	भाकेडा	संरक्षित वन	69.31
12.	अलवर	धौली धूप	संरक्षित वन	41.18
13.	अलवर	बल्ला वीडा	संरक्षित वन	31.55
14.	अलवर	जटियाना	संरक्षित वन	103.70
15.	अलवर	टोडियार A	संरक्षित वन	170.93
16.	अलवर	बीघोता (क.नं. 5 से 9)	आरक्षित वन	2096.87
योग				18014.21

जिला अलवर राजस्व क्षेत्र

क्र. सं.	खण्ड संख्या व क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1.	1 (3076.08)	1--शिरावास	अलवर	680.86
2.		2--डहलावास	अलवर	711.31
3.		3--चकशामलात	अलवर	97.96
4.		4--रामनगर	अलवर	189.93
5.		5--रोगडा	अलवर	334.86
6.		6--दखतपुरा	अलवर	195.97
7.		7--रुध वीनक	अलवर	126.46
8.		8--किशनपुर	अलवर	161.34
9.		9--पैतपुर	अलवर	339.83
10.		10--दीवा रिगतपुरी	अलवर	222.48
11.		11--शोदानपुरा	अलवर	15.08

1	2	3	4	5
12.	2 (60.71)	टोडा जयसिंहपुरा	राजगढ़	60.71
13.	3 (143.50)	1-खिरताकावास	राजगढ़	83.12
14.		2-तोडीकावास	राजगढ़	51.49
15.		3-मानगढ़	राजगढ़	8.89
16.	5 (1835.70)	1-गुवाडा कुण्डवाल	थानागाजी	99.32
17.		2-अजयगढ़	थानागाजी	195.70
18.		3-गुवाडा डायर	थानागाजी	013.85
19.		4-गुवाडा घासी	थानागाजी	136.20
20.		5-गुवाडा हनुमान	थानागाजी	58.25
21.		6-गुवाडा लालाभैया	थानागाजी	12.98
22.		7-गुवाडा सायब	थानागाजी	20.07
23.		8-गुवाडा भगवान	थानागाजी	55.52
24.		9-गुवाडा जानावत	थानागाजी	15.21
25.		10-गुवाडा हार	थानागाजी	113.83
26.		11-गुवाडा बिरकडी	थानागाजी	225.60
27.		12-गुवाडा सोती	थानागाजी	42.13
28.		13-गुवाडा व्यास	थानागाजी	15.11
29.		14-गुवाडा जमींदार	थानागाजी	8.42
30.		15-गुवाडा रामजी	थानागाजी	168.49
31.		16-गुवाडा गुमली	थानागाजी	166.85
32.		17-गुवाडा लंछा	थानागाजी	04.12
33.		18-गुवाडा निरमा	थानागाजी	54.25
34.		19-गुवाडा राडी	थानागाजी	119.02
35.		20-गुवाडा कालोत	थानागाजी	54.45
36.		21-भूरिधावाली	थानागाजी	256.03
37.	6 (56.24)	रायपुरा	थानागाजी	56.24
38.	7 (885.60)	1-मानावास	थानागाजी	326.10
39.		2-गुण्डावरा	थानागाजी	559.50
40.	8 (1644.08)	1-लेकडी	वानसूर	210.93
41.		2-घाट	वानसूर	331.48
42.		3-बहरामकावास	वानसूर	190.20
43.		4-गुण्डली	वानसूर	1.42
44.		5-गुडा भाखरवाला	वानसूर	171.65
45.		6-कल्याणपुरा	वानसूर	38.44
46.		7-करवा रामपुर	वानसूर	614.60
47.		8-धामलाकावास	वानसूर	85.36
48.	9 (15.47)	हाजीपुर	वानसूर	15.47
49.	10 (536.32)	दुहारमाला	थानागाजी	536.32
50.	11 (392.22)	नाथूसर	वानसूर	392.22

1	2	3	4	5
51.	12 (5.00)	गुवाडा रईका (माधोगड)	अलवर	5.00
योग				8650.92

जिला जयपुर वन क्षेत्र
वन मण्डल जयपुर (मध्य)

क्र. सं.	नाम वनखण्ड	वन क्षेत्र का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1.	बडी लाइन डीगोला 61	आरक्षित वन	6568.00

मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र :	24572.21 हैक्टर
राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र :	8650.92 हैक्टर
कुल योग :	33223.13 हैक्टर

अनुसूची - II

सीमा विवरण

खण्ड- 1 रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेंट 5 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर कम्पार्टमेंट नं. 5 की उत्तरी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 5, 4, 3 व 2 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 1 की पश्चिमी-उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड शीरावास के कम्पार्टमेंट 19, 17, 16 व 15 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, आरक्षित वनखण्ड डडीकर के कम्पार्टमेंट नं. 3 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा कम्पार्टमेंट नं. 4, 5, 10, 11 व 12 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ। यहां से रक्षित वनखण्ड की टोडियार ए की पश्चिमी-उत्तरी सीमा तक। रक्षित वनखण्ड टोडियार के उत्तर-पूर्व कोने से प्रारम्भ होकर रक्षित वनखण्ड जटियाना, धौली धूप, बत्लाबोडा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड निदानी के कम्पार्टमेंट 7, 8 व 9 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 9 की दक्षिण सीमा के साथ-साथ, आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेंट 1, 2, 3 व 4 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा कम्पार्टमेंट 4 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, रक्षित वनखण्ड भाखेडा की सीमा तक। यहां से रक्षित वनखण्ड भाखेडा की पूर्वी सीमा, आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेंट 5 व 7 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड वाड केसरपुर व रक्षित वनखण्ड जगरैन की पूर्वी-दक्षिणी सीमा के साथ-साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेंट नं. 11 ए की दक्षिणी कोने तक। यहां से ग्राम साहोडी की उत्तरी सीमा (जो इसी ग्राम के खसरा नं. 1, 36,

- 37, 38, 91, 92, 93, 94, 134, 135, 139, 140, 145, 146, 147, 148 की उत्तरी सीमा भी बनती है) के साथ-साथ आरक्षित वनखण्ड वीनक के कम्पार्टमेन्ट नं. 16 की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक। आरक्षित वनखण्ड वीनक के कम्पार्टमेन्ट नं. 10, 11 वी. 15 के साथ उत्तर को चलकर क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेन्ट 5 की उत्तरी पश्चिमी कोने तक।
- खण्ड- 2** आरक्षित वनखण्ड वीघोता के कम्पार्टमेन्ट नं. 8 के उत्तरी-पश्चिमी कोने से चलकर कम्पार्टमेन्ट नं. 8, 9 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा कम्पार्टमेन्ट नं. 9, 8, 7, 6 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर जिला दीसा सीमा तक। यहां से पश्चिम में जिला सीमा (कम्पार्टमेन्ट नं. 5 की दक्षिणी सीमा) के साथ-साथ चलकर दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। यहां से इसी रक्षित वनखण्ड की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पश्चिमी कोने तक। यहां से रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। यहां से सीधे चलकर वनखण्ड जयसिंहपुरा में की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से दक्षिण सीमा के साथ-साथ चलकर कम्पार्टमेन्ट नं. 6, 7 व 8 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट के रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा में की सीमा के मिलान बिन्दु कम्पार्टमेन्ट नं. 8 की उत्तरी-पश्चिमी कोने तक।
- खण्ड- 3** क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट के आरक्षित वनखण्ड नारायणी जी के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से चलकर रक्षित वनखण्ड धीरोडा (क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट) के पश्चिमी वन सीमा के साथ-साथ चलकर इस वनखण्ड के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। यहां से पश्चिम में सरसा माता बांध की पाल के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड भानगढ़ के कम्पार्टमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा तक। यहां से उत्तर में चलकर इसी वनखण्ड के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 व 3 की पूर्वी सीमा तथा रक्षित वनखण्ड खिरत का वास की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजबगढ़ के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 वी. दक्षिणी सीमा तक। यहां से पूर्व को चलकर आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक।
- खण्ड- 4** आरक्षित वनखण्ड बडी लाईन डीगोता 61 के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर इसी वनखण्ड की दक्षिणी-पश्चिमी वन सीमा (जिला सीमा) के साथ-साथ चलकर क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट के रक्षित वनखण्ड पिपलाई में की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से उत्तर व पूर्व को जिला सीमा (क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट) के साथ-साथ चलकर वनखण्ड बडी लाईन डीगोता 61 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।
- खण्ड- 5** क्रिटीकल टाइगर हैवीटाट के रक्षित वनखण्ड नडोली के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर पूर्व को इसी ग्राम के खसरा नं० 881 की दक्षिणी सीमा (जो ग्राम भुसाली की उत्तरी सीमा भी है) के साथ-साथ

चलकर ग्राम कलियाग की दक्षिणी सीमा जो ग्राम कलियाग के खसरा नं० 502, 503, 507, 508, 510, 408 की दक्षिणी सीमा भी है, के साथ-साथ नदी तक। यहां से ग्राम कलियाग की सीमा से ग्राम गुवाडा सीरा के खसरा नं० 135 व 142 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ ग्राम गुवाडा डावर की सीमा तक। यहां से गुवाडा सीरा की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ (खसरा नं० 143, 144, 155, 156, 162, 171, 184, 182, 187, 188, 189, 193, 198, 199, 204, 205 की दक्षिणी सीमा है) चलकर क्रिटीकल टाइगर हैथीटाट की सीमा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड सिलीवावडी के कम्पार्टमेंट नं. 4 व 5 के मिलान बिन्दु तक। यहां से इसी वनखण्ड सिलीवावडी के कम्पार्टमेंट नं. 5, 6 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ तथा आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेंट नं. 5 वी की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 4 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 1 की पूर्वी- उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर जयसागर बांध (अजयगढ़) तक। यहां से जयसागर बांध की पाल के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजयगढ़ के कम्पार्टमेंट नं. 1 तथा रक्षित वनखण्ड पिपलाई मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ (शिद्ध का तिराहा से पहले) ग्राम नडोली की ग्राम सीमा तक। यहां से इसी ग्राम के खसरा नं० 17, 18 व 19 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड नडोली की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलते हुए इसी वनखण्ड के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 6 ग्राम रायपुरा के पार रक्षित वनखण्ड रायपुरा की पूर्वी वन सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी-उत्तरी वन सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड जोधावास मथ राजौर के कम्पार्टमेंट नं. 5 के मिलान बिन्दु तक। यहां से कम्पार्टमेंट नं. 6 व 5 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 5 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम रायपुरा की दक्षिणी सीमा (खसरा नं० 99, 100, 103) की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलकर खसरा नं० 185, 148, 166, 108, 96, 81, 58, 56, 15, 7 की पश्चिमी सीमा (जो वन सीमा भी है) के साथ-साथ चलकर ग्राम की आवादी खसरा नं० 16 के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की उत्तरी-पूर्वी कोने पर वन सीमा के मिलान बिन्दु तक। (गफर क्षेत्र में शामिल खसरा नं० 15, 17 से 58, 61 से 95, 97 से 107)

खण्ड- 7 क्रिटीकल टाइगर हैथीटाट के आरक्षित वनखण्ड बनी तालचूदा के उत्तरी पूर्वी कोने (खसरा नं० 2043) से खसरा नं० 2026 (नाला), खसरा नं० 2011 (नदी) के साथ-साथ घूम तक। यहां से खसरा नं० 1980 के साथ-साथ चलकर खसरा नं० 1940, 1939, 1936, 1935 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलते हुए ग्राम सीमा तक। यहां से ग्राम मानावास के खसरा नं० 35, 37, 39 व 29 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड मानावास के दक्षिणी-पश्चिमी सीमा मिलान के कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड मानावास की

दक्षिणी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पूर्वी कोने तक। यहां से सीधे पूर्व में खसरा नं. 405, 406, 409, 410, 412, 413, 416 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर क्रिस्टीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा तक। यहां से दक्षिण में चलकर क्रिस्टीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम वैरावास की उत्तरी सीमा तक। यहां से पश्चिम में क्रिस्टीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा (जो ग्राम सीमा है) के साथ-साथ चलकर कुशालगढ़-नारायणपुर सड़क तक। यहां से सड़क के साथ-साथ उत्तर में क्रिस्टीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा के साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड बनी तालवृक्ष के उत्तरी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 8 ग्राम लेकडी के दक्षिण-पूर्व में इसी ग्राम के साविक खसरा नं० 365 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने (जो वन सीमा भी है) से प्रारम्भ होकर खसरा नं० 365 की पश्चिमी, खसरा नं० 392, 394, 407, 406 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड लेकडी ए के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड व रक्षित वनखण्ड घाट बी तथा ग्राम घाट के साविक खसरा नं० 320 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड मूण्डली के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। यहां से रतनपुरा-बहराम का बास सड़क के साथ-साथ पूर्व में चलकर वनखण्ड घाट ए की सीमा क्रॉस तक। यहां से वनखण्ड घाट ए की पश्चिमी-दक्षिणी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर इसी सड़क के क्रॉसिंग बिन्दु तक। यहां से रतनपुरा-बहराम का बास- रामपुर सड़क के साथ-साथ ग्राम रामपुर से उत्तर में नाला क्रॉसिंग तक। यहां से इस नाले के साथ-साथ चलकर ग्राम की आबादी को बाहर रखते हुए दक्षिण में स्थित पहाड़ियों को शामिल करते हुए ग्राम रामपुर से गुहा- कल्याणपुरा सड़क के साथ-साथ कल्याणपुरा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड रामपुर के कम्पार्टमेंट नं. 7 की पश्चिमी सीमा तक। यहां से दक्षिण की ओर चलकर इसी वनखण्ड के कम्पार्टमेंट नं. 3 व 4 की पश्चिमी सीमा व कम्पार्टमेंट नं. 8, 9, 10, 11, 12, 31 व 32 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड रामपुर की उत्तरी-पश्चिमी वन सीमा व रक्षित वनखण्ड घाट मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ चलकर वन चौकी बहराम का बास के पश्चिमी-उत्तरी कोने तक। यहां से घाट को जाने वाली सड़क के साथ-साथ ग्राम घाट की झापी तक। यहां से रक्षित वनखण्ड घाट मैन की पश्चिमी वन सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड लेकडी मैन की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम लेकडी के दक्षिण में वनखण्ड लेकडी मैन के प्रारम्भिक बिन्दु खसरा नं० 365 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक।

खण्ड- 9 रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पूर्वी कोने तक। यहां से सीधे पूर्व में खसरा नं० 687, 688 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड रामपुर के कम्पार्टमेंट नं. 1 की पश्चिमी सीमा तक। यहां से दक्षिण में चलकर कम्पार्टमेंट नं. 1 की

पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 2 की उत्तरी सीमा के गिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम हाजीपुर के खरारा नं० 721, 722, 723, 724 की दक्षिणी, 724, 717, 718, 707 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 10 क्निट्रीकल टाइगर हैवीटाट के रक्षित वनखण्ड दुहारमाला के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड- 11 क्निट्रीकल टाइगर हैवीटाट के रक्षित वनखण्ड नाथूसर के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित ग्राम लोज नाथूसर का समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड- 12 गुवाडा रईका की आबादी व कास्त रकबा शामिल है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]
राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नारानी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।